न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 404 / 2018

वादी :– अम्बालाल पुत्र श्री पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारों की ढाणी, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बाबुलाल पुत्र श्री पेमाराम
2. दाखुदेवी पत्नी श्री पेमाराम
3. पन्नाराम पुत्र श्री आसुराम
4. शिवदानराम पुत्र श्री शिवराम
5. लालाराम पुत्र श्री बालुराम
6. पानकी पत्नी श्री आसुराम
7. रिदादेवी पुत्री श्री बाबुलाल
8. पांचीदेवी पुत्री श्री बालुराम
9. सुखीदेवी पुत्री श्री बालुराम
10. नाथी पुत्री श्री बालुराम
11. सिणगारी देवी पत्नी श्री बालुराम

    सभी जाति कुम्हार, निवासीगण कुम्हारों की ढाणी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
12. तहसीलदार, मेड़ता।
13. पटवारी हल्का, कुरड़ाया।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा

अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

निर्णय   दिनांक :–29.08.2018

Scanned by CamScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बावत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का पेश कर निवेदन किया कि यह है कि मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1600 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1551 रकबा 4.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1548 रकबा 3.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1594 रकबा 1.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 6.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1596 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1597 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.89 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की पैतृक आराजी है, जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का मौके पर सुविधानुसार काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान का मौका पर तो बंटवाड़ा क़िया हुआ है व उक्त खसरा का मौके पर तो बंटवाड़ा हो रखा है परन्तु बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से यह वाद पेश है। मौके पर बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 11 के बंट में उपरोक्त खसरान में कोई बंट नही रखा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 11 ने अपने बंट की एवज में रोकड़ी रूपयें व आभूषण प्राप्त कर लिये है, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 11 ने अपना कोई बंट उक्त खसरान में नही रखा है। उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है लेकिन उक्त बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ होने के कारण उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना लांजमी हुआ, सो वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 7 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा कुरड़ाया की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, खाता संख्या 18, 498, 563, 896 की प्रतियां पेश की।

Scanned by CamScanner

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री रामकिशोर भंवरिया ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का सम्मन दिनांक 09.07.2018 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 29.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) **वादी अम्बालाल के बंट में :–** मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1600 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से रकबा 0.5375 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, मध्य पन्नालाल के पूर्व, मध्य लालाराम के पूर्व, खसरा नम्बर 1548 रकबा 3.08 हैक्टेयर में से 0.3788 मध्य भाग, खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से रकबा 0.6950 दक्षिणी भाग, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 0.31 मध्य हिस्सा, खसरा नम्बर 1597 रकबा 1.29 हैक्टेयर में से 0.365 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.58 हैक्टेयर में से रकबा 1.16 हैक्टेयर उत्तरी व दक्षिणी पूर्वी, खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.89 हैक्टेयर में से रकबा 0.39 हैक्टेयर मध्य की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

Scanned by CamScanner

6.(2) प्रतिवादी संख्या 1 बाबुलाल के बंट में :– मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1595 रकबा 6.59 हैक्टेयर में से रकबा 2.185 हैक्टेयर दक्षिणी–पश्चिमी व मध्य हिस्सा, खसरा नम्बर 1548 रकबा 3.08 हैक्टेयर में से रकबा 1.0737 हैक्टेयर मध्य हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगा।

6.(3) प्रतिवादी संख्या 3 पन्नाराम के बंट में :– मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.49 हैक्टेयर में से रकबा 0.29 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा व खसरा नम्बर 1551 रकबा 4.12 हैक्टेयर में से 1.3387 हैक्टेयर पश्चिमी–दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 1548 रकबा 3.08 हैक्टेयर में से रकबा 0.8138 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 1600 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से रकबा 0.1375 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.33 हैक्टेयर उत्तरी–पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1595 रकबा 6.59 हैक्टेयर में से रकबा 1.535 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1596 रकबा 2.69 हैक्टेयर में से 1.2050 हैक्टेयर मध्य हिस्सा, खसरा नम्बर 1598 रकबा 1.58 हैक्टेयर में से रकबा 0.42 हैक्टेयर उत्तरी–पश्चिमी हिस्सा व खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.89 हैक्टेयर में से रकबा 0.38 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(5) प्रतिवादी संख्या 4 शिवदानराम के बंट में :– मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.49 हैक्अेयर में से रकबा 0.20 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1594 रकबा 1.33 हैक्टेयर में से 0.63 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 1551 रकबा 4.12 हैक्टेयर में से 1.3338 हैक्टेयर दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1548 रकबा 3.08 हैक्टेयर में से 0.8137 दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 1600 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से 0.7475 हैक्टेयर मध्य हिस्सा अम्बालाल के पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1595 रकबा 6.59

Scanned by CamScanner

हैक्टेंयर में से 1.335 हैक्टेयर उत्तरी–दक्षिणी–पूर्वी, खसरा नम्बर 1596 रकबा 2.69 हैक्टेयर में से 0.28 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 1597 रकबा 1.29 हैक्टेयर में से 0.925 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा व खसरा नम्बर 1599 रकबा 0.89 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा बंट व खातेदारी में रहेगा।

6.(6) प्रतिवादी संख्या 5 लालाराम के बंट में :– मौजा कुरड़ाया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.31 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1594 रकबा 1.33 हैक्टेयर में से रकबा 0.70 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 1551 रकबा 4.12 हैक्टेयर में से 1.4525 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 1600 रकबा 1.97 में से रकबा 0.5475 हैक्टेयर मध्य हिस्सा शिवदान के पूर्व में, खसरा नम्बर 1595 रकबा 6.59 हैक्टेयर में से रकबा 1.535 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 1596 रकबा 2.69 हैक्टेयर में से 1.205 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा व खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 0.6950 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 11 ने अपने बंट की भूमि का हक तर्क कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

Scanned by CamScanner